By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

Dated: 06/08/2018

To

1. The Principal Secretary,
Revenue Department,
Govt. of Uttar Pradesh,
Bapu Bhawan, Ist Floor,
U.P. Secretariat,
Lucknow – 226001.
Tel: 0522-2238020.
Fax: 0522-2239086.
Email: psrevenuedeptup@gmail.com

2. The Principal Secretary,
Social Welfare Department,
Govt. of Uttar Pradesh,
U.P. Secretariat,
Lucknow – 226001.
Tel: 0522-2238083.
Email: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

Sub: Problems faced by Scheduled Tribes person for getting ST certificates in the Districts of Mau, Kushinagar and Chandauli, (Uttar Pradesh).

Ref: NCST's notice of even No. dated 10/07/2018 for the sitting on 18/07/2018.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 18/07/2018 at 3:00 P.M. under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent at the earliest.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for information and necessary action to:

1. The District Magistrate,
District – Chandauli,
(Uttar Pradesh).
Tel: 05412-262557.
Email: dmchn@nic.in
(Mob: 9454417576).

2. The District Magistrate,
District – Kushinagar,
(Uttar Pradesh).
Tel: 05564-240203.

3. The District Magistrate,
District – Mau,
(Uttar Pradesh),
Tel: 0547-2220233.
Fax: 0547-2223645.
Email: dmmau@nic.in
(Mob: 9454417523).

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रवासों के दौरान यह बात सामने आयी कि कुशीनगर, चंदौली, मऊ एवं अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I)

बैठक की तिथि --- 18/07/2018 समय 3:00 बजे।

बैठक में भाग लेने वालों की सूची --- अनुबंध में है।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रवासों के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से मुलाक़ात कर उनकी समस्याओं के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रवासों के दौरान यह बात सामने आयी कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर, चंदौली, मऊ एवं अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जनजातीय वर्ग के लोगों के पास मौजूद दस्तावेज़ फ़सली वर्ष, परिवार रजिस्टर एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति अंकित है इसके बावजूद उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी, जिला – चंदौली, जिला अधिकारी, जिला – कुशीनगर एवं जिला अधिकारी, जिला – मऊ तथा अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा को दिनाँक 18/07/2018 को बैठक में बुलाया था।

विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 1332/एक-9-2018-रा-9 दिनाँक 17/07/2018 द्वारा आने में असमर्थता प्रकट की और निवेदन किया की बैठक में शामिल न होने के लिए छूट तथा आगामी प्रस्तावित बैठक हेतु दो सप्ताह पूर्व सूचित करने का भी निवेदन किया। जिला अधिकारी, मऊ ने पत्रांक 126 प्रमाणपत्र लिपिक / मऊ / 18 दिनाँक 18/07/2018 द्वारा सूचित किया की सूचना समय से न मिल सकने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। जनपद में अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जाँच करा कर नियमानुसार जारी किए जा रहे हैं। यदि कोई विशिष्ट प्रकरण, माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराये तथा प्रकरण में अग्रिम तिथि नियत करने का कष्ट करें, ताकि उसके संबंध में जानकारी करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। जिला अधिकारी, जिला - कुशीनगर बैठक में उपस्थित हुए तथा पत्रांक 1026/स० क० /2018 – 19 दिनाँक 16/07/2018 के द्वारा अवगत कराया कि राजपत्रों एवं शासनादेशानुसार, जनपद – कुशीनगर की गोंड जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। अतः इन्हे अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र नही जारी किया जाता है। बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला अधिकारी, जिला - चंदौली से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ न ही कोई उपस्थित हुए।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बैठक में आए, अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा को जनजातीय वर्ग के लोगों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में अवगत करने को कहा। अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा ने तथा उनके साथ आए अन्य अभ्यावेदकों ने चंदौली तथा कुशीनगर जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने का मामला उठाया। अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा ने अपने अभ्यावेदन दिनाँक 10/07/2018 जिसमे बलिया, मऊ, चंदौली, वाराणसी तथा अन्य जनपदों मे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने के बारे में मामला उठाया। इस प्रकरण में जिला अधिकारी – कुशीनगर ने अवगत कराया की जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु नियमानुसार कार्यवाई की जा रही है तथा जाति प्रमाणपत्र असत्य होने पर उन्हें निरस्त किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल प्रकरण में जाति प्रमाणपत्र की छान-बीन तथा सामाजिक स्तर की जानकारी हेतु राज्यों में "कमेटियाँ" गठित करने को कहा गया था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह संबन्धित राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र बिना किसी कठिनाई के जारी करें तथा असत्य अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले लोगों के विरुद्ध जांच कराए।

अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 (संख्या 1976 का 108) दिनाँक 18/09/1976 जो भारत के राजपत्र में दिनाँक 20/09/1976 को प्रकाशित है के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में गोंड अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 36 पर अंकित हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 (संख्या 2003 का 10) दिनाँक 07/01/2003 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है के अनुसार "गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में)" क्षेत्रीय प्रतिबंध के साथ क्रमांक 6 पर अंकित है। गोंड जाति को इन 13 जिलों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश के शेष जनपदों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। नवसृजित जिलों – कुशीनगर, चंदौली, संतकबीरनगर तथा रविदासनगर में उपरोक्त समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आयोग ने अपनी संस्तुति जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनाँक 21/03/2018 को भेज चुका है। प्रकरण पर आगे की कार्यवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद आयोग ने अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा को कहा कि वह किसी एक विशेष प्रकरण जिसमे जिला स्तर के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो और बाद में उसे जिला जांच कमेटी के द्वारा निरस्त कर दिया गया हो आयोग को सूचित करें। जिसके साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने का आधार, अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति तथा जिस आधार पर अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र निरस्त किया गया हो, आख्या रिपोर्ट की प्रतियां भी संलग्न करें। जिससे मामला संबन्धित जिला अधिकारी के साथ एवं सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया जा सके।

आयोग ने निश्चित किया कि इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, राजस्व विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं संबन्धित जिला अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की जाए। जिससे राज्य में निवासरत अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके।

****

1.8.18

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

अनुबंध

(F. No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I Date of sitting 18/07/2018 at 1500 Hours)

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रवासों के दौरान यह बात सामने आयी कि कुशीनगर, चंदौली, मऊ एवं अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद	
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**	
1.	श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष	(अध्यक्षता में)
2.	कुमारी अनुसुइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष	
3	श्री एच के डामोर, माननीय सदस्य	
4.	श्री हर्षदभाई वसावा, माननीय सदस्य	
5.	श्री राघव चंद्रा, सचिव	
6.	श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव	
7.	श्री पी टी जेम्सकुट्टी, उप सचिव	
8.	श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक	
9.	श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक	
II	**सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**	
1.	----	
III	**सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**	
1.	----	
IV	**जिला अधिकारी, जिला – चंदौली**	
1.	----	
V	**जिला अधिकारी, जिला – कुशीनगर**	
1	डॉ० अनिल कुमार सिंह	
VI	**जिला अधिकारी, जिला – मऊ**	
1.	----	
VII	**अभ्यावेदक**	
1.	श्री अरविंद कुमार गोंड, श्री रामकृत गोंड, श्री सुनील कुमार गोंड, श्री सुरेश चंद गोंड, श्री गुलाब चंद गोंड	